

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
जसुराम पुत्र पूर्णाराम जाति जाट, निवासी शिवाजीनगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		सताराम पुत्र पूर्णाराम जाति जाट, निवासी शिवाजीनगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (03)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 88, 188, 209) मुकदमा नम्बर 112/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------

18.08.2023

प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 9.10.23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

9.10.23

पत्रावली पेश हुई। शौमन पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 27.12.23 को पेश हो।

27.12.23

पत्रावली पेश हुई। शौमन पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 08.5.24 को पेश हो।

8.5.24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी गण की तामिली हुई दिनांक 11.9.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

11.9.24

पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 11.12.24 को पेश हो।



नम्बर
अहकाम
हुकम की
में जारी हुए
तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

8.9.25

पत्रावली पेशा वारी वकील अनुपस्थित
पत्रावली में उभावी पैरवी हेतु न्यायालय
समय में वारी व वारी वकील को एक नकल
आवाज ही जाने के बावजूद अनुपस्थित
अतः पत्रावली में कोई उभावी पैरवी नहीं
होने तथा वारी व वारी वकील के अनुपस्थित
रहने पर उक्त वाद अग्रे दायरी व अग्रे
पैरवी में खारिज ठिपा जाता है
पत्रावली नम्बर से उम क्षेत्र
दाखिल दस्तर घें।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव